न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 07/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. महावीरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी– रावली पोल, बींजागुड़ा, जिला– पाली, राजस्थान		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि– धारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री यशपालसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार, सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय :– दिनांक 19.09.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी व अन्य संयुक्त खातेदार की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा गुड़ाबींजा पटवार हल्का गुड़ाबीजा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबीजा जिला पाली के वर्तमान खाता सख्या 469 पुराना खाता संख्या 30 के खसरा नंबर 06/01 रकबा 0.0600 हैक्टर तथा सरहद मौजा पोकरिया नाड़ी पटवार हल्का गुडाबीजा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडाबीजां जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 100 पुराना खाता संख्या 103 के खसरा नम्बर 1131 रकबा 1.3200 हैक्टर में प्रार्थी का नाम भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक नाम महावीरसिंह पुत्र भवरसिंह जाति राजपुत है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार कार्ड, पेन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता डायरी, सेवा पुस्तिका इत्यादि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम महावीरसिंह पुत्र भंवरसिह राजपूत दर्ज है, जो सही है। भवानीसिंह पुत्र भंवरसिह प्रार्थी को अपने घर परिवार व समाज में लाड प्यार से पुकारते है। प्रार्थी की अन्य कृषि भूमि सरहद मौजा पोकरियानाड़ी व बींजागुडा में आई हुई स्थित है, जिसमें भी प्रार्थी का नाम भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज है, जिसको लेकर प्रार्थी द्वारा न्यायायल हाजा में राजस्व विधिक प्रकरण संख्या 132/2016 बअनवान महावीरसिंह बनाम तहसीलदार सोजत प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.01.2017 को आदेशित पारित किया कि कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम शुद्धि किया जावे। उक्त प्रकरण प्रस्तुत करते समय उक्त वर्णित कृषि भूमि भूलवश रह गई है, जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। हाल ही में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने पर प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का घरेलू नाम भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज है, उससे पूर्व प्रार्थी को उक्त नाम बाबत किसी प्रकार की कोई जानकारी नही है, इसलिए राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर महावीरसिंह पुत्र भंवरसिह दर्ज किया जाना आवश्क एवं न्याय संगत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड शुद्धि बाबत, जिस हेतु तहसीलदार(भूमि धारक) सोजत को पक्षकार बनाया गया है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा गुड़ीबीजा व पोकरिया नाड़ी तहसील सोजत में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता पार्थी मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर महावीरसिंह पुत्र भंवरसिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सोजत को जरिए नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। तहसीलदार सोजत ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि मौजा गुडाबींजा में स्थित होना स्वीकार कर शेष पैरा वादी स्वयं सिद्ध करना अंकित किया है। पैरा संख्या 3 कोस्वयं साबित करना अंकित करना अंकित करते हुये पैरा संख्या 4 से 11 को कानूनी होना अंकित किया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा गुड़ाबींजा पटवार हल्का गुड़ाबीजा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबीजा जिला पाली के वर्तमान खाता सख्या 469 पुराना खाता संख्या 30 के खसरा नंबर 06/01 रकबा 0.0600 हैक्टर तथा सरहद मौजा पोकरिया नाड़ी पटवार हल्का गुडाबीजा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडाबीजां जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 100 पुराना खाता संख्या 103 के खसरा नम्बर 1131 रकबा 1.3200 हैक्टर में प्रार्थी का नाम भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत के स्थान पर महावीरसिंह पुत्र भंवरसिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए जाने की ईशतदुआ की है। जिस पर तहसीलदार सोजत ने स्वीकारोक्ति/सहमति व्यक्त की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र जवाब दावा प्रतिवादी व प्रस्तुत दस्तावेजात सरहद मौजा गुडा बींजा के खसरा नम्बर 06/01 की प्रमाणित प्रति, सरहद मौजा पोकरिया नाडी के खसरा नम्बर 1131 की प्रमाणित जमाबंदी, महावीरसिंह की सेवापुस्तिका, आधार कार्ड पहचान पत्र, परिवार कार्ड, बैंक डायरी, न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2017 छाया प्रति आदि दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की सपुष्टि हेतु प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम महावीरसिंह पुत्र भंवरसिंह होना साबित होता है। राजस्व विधिक प्रकरण संख्या 132/2016 बअनवान महावीरसिंह बनाम तहसीलदार सोजत में भी न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.01.2017 को पारित निर्णय में भी प्रार्थी का सही नाम महाविर सिंह दर्ज किए जाने के आदेश जारी किए गये है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गुड़ाबींजा पटवार हल्का गुड़ाबीजा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबीजा जिला पाली के वर्तमान खाता सख्या 469 पुराना खाता संख्या 30 के खसरा नंबर 06/01 रकबा 0.0600 हैक्टर तथा सरहद मौजा पोकरिया नाड़ी पटवार हल्का गुडाबीजा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडाबीजां जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 100 पुराना खाता संख्या 103 के खसरा नम्बर 1131 रकबा 1.3200 हैक्टर में प्रार्थी का नाम भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत के स्थान पर महावीरसिंह पुत्र भंवरसिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज दुरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

-: आदेश :-

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गुड़ाबींजा पटवार हल्का गुड़ाबीजा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबीजा जिला पाली के वर्तमान खाता सख्या 469 पुराना खाता संख्या 30 के खसरा नंबर 06/01 रकबा 0.0600 हैक्टर तथा सरहद मौजा पोकरिया नाड़ी पटवार हल्का गुडाबीजा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडाबीजां जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 100 पुराना खाता संख्या 103 के खसरा नम्बर 1131 रकबा 1.3200 हैक्टर में प्रार्थी का नाम भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत के स्थान पर महावीरसिंह पुत्र भंवरसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज दुरुस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त

उपखण्ड अधिकारी,

निर्णय प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

खण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)